रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 7, 1991/आश्विन 15, 1913

No. 360] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 1991/ASVINA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1991

अधिसूचना

सं. 97/91-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 616 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 81/91-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, तारीख 25 जुलाई, 1991 को अधिक्रांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी उत्पाद शुल्क्य माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जिसका उत्पादन या विनिर्माण शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में किया जाता है तथा जो आयात और निर्यात नीति के पैरा 334 और पैरा 345(3) के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार भारत में विक्रय के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जो प्रत्येक सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है और जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क की धारा 12 के अधीन भारत से बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर, यदि उसका भारत में आयात किया जाता तो उद्गृहीत किया जाता :

परन्तु उक्त माल की बाबत कुल सीमाशुल्क की रकम, मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से या,

स्थिति, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उपनियम (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से, इनमें जो भी अधिक हो, कम नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक की कोई बात ऐसे माल को लागू नहीं होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित धारा 12 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और भी कि मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से संगणित शुल्क की रकम उसी अनुपात में प्रमाणित की जाएगी जिसमें उक्त माल प्रत्येक सीमाशुल्क से प्रभार्य होता, यदि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "आयात और निर्यात नीति" अभिव्यक्ति से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन) 90-93, तारीख 30 मार्च, 1990 द्वारा प्रकाशित समय समय पर संशोधित आयात और निर्यात नीति, अप्रैल 1990–मार्च, 1993 अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 357/9/91]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th October, 1991

NOTIFICATION

NO. 97/91–CENTRAL EXCISES

G.S.R. 616(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/91-Central Excises, dated the 25th July, 1991, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods (hereinafter referred to as the said goods) specified in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and produced or manufactured in a 100% export oriented undertaking or a free trade zone and allowed to be sold in India under and in accordance with the provisions of paragraphs 334 and 345 (3) of the Import and Export Policy from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excises and Salt Act, 1944 as is in excess of the amount calculated at the rate of 50% of each of the duties of customs, which would be leviable under section 12 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with any other notification for the time being in force issued under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act on the like goods produced or manufactured outside India if imported into India :

Provided that the amount of aggregate duties of customs in respect of the said goods shall not be less than the amount calculated at the rate of 25% *ad valorem* or the duty of excise leviable thereon which is specified in the said schedule read with any relevant notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 or sub-section (1) of section 5A of the said Central Excises and Salt Act, as the case may be, whichever is higher :

Provided further that nothing contained in the above proviso shall apply to the goods which are chargeable to nil rate of duty leviable under section 12 read with any other notification for the time being force issued under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act. Provided also that the amount of duty calculated at the rate of 25% advalorem shall be apportioned in the same ratio in which the said goods are chargeable to each of the duties of customs, but for the exemption contained in this notification.

Explanation—For the purpose of this notificaiton, the expression "Import and Export Policy" means the Import and Export Policy, April 1990–March 1993, published vide Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No.1–ITC (PN) 90-93, dated the 30th March, 1990, as amended from time to time.

[No. F.No. 357/9/91]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991